**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**O.A NO. 201 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT KUMAR …..APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ….RESPONDENTS**

**INDEX IN APPLICANT REJOINDER BY APPLICANT TO THE REPLY OF RESPONDENT No. 6**


| S. No. | Particulars | Pg. No. |
|---|---|---|
| 1. | Rejoinder by Applicant to the Reply of Respondent No. 6 (DM Shamli) dated 14.06.2025 | 2-6 |
| 2. | **Annexure A-1(colly):** True Copies of the orders issued by the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Unn, District Shamli in the following cases: Case No. 2701/2025, State vs. Rajesh & Ors. dated 27.06.2025. Case No. 2700/2025, State vs. Harendra & Ors. dated 27.06.2025 | 7-9 |


FILED BY:

Amit Kumar
(Applicant)
**Place - New Delhi**
**Date - 31.07.2025**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**O.A NO. 201 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT KUMAR …..APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ….RESPONDENTS**

**APPLICANT OBJECTION TO THE SUBMISSIONS MADE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 6 AND 7**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That the present application has been filed before this Hon'ble Tribunal seeking the revival of the Khokhari/Sindhali River, spanning the Saharanpur and Shamli districts of Uttar Pradesh, which has been adversely impacted by encroachments, lack of restoration measures, and administrative negligence.
2. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.08.2024, directed Respondent No. 6 (District Magistrate, Shamli) and Respondent No. 7 (District Magistrate, Saharanpur) to submit their responses, along with a **time-bound restoration plan**, for the revival of the Khokhari river.
3. That the Applicant herein respectfully submits this rejoinder to the reply affidavit dated 14.06.2025 filed by the Respondent No. 6 (District Magistrate, Shamli), which is riddled with inconsistencies, procedural inadequacies, and a lack of meaningful action in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal.
4. That the Applicant reserves the liberty to file a detailed reply, as and when deemed necessary, to address specific averments and to assist this Hon'ble Tribunal in ensuring that its directives are implemented in letter and spirit to achieve the desired objective of justice and ecological restoration.

***Objections***

5. At the very outset, it is submitted that the village-wise Khasra-wise details of the Khokhari River annexed by Respondent No. 6 at Page Nos. 465 and 466 of the affidavit reveal grave inconsistencies and apparent misrepresentation of the river's legal status in revenue records. It is submitted that **in the villages of Mustafabad, Sakauti, Kamalpur, Kalamajra, and Jalalpur, the river has been incorrectly recorded as a mere "Naala" (drain)**, which amounts to downgrading the status of the Khokhari River and reflects serious lapses in the maintenance of revenue records. This misclassification is contrary to both historical continuity and the ecological importance of the river.
6. That, as per the said records, Khasra No. 23मि in village Alipura has been recorded as "Kashtkar", indicating it as privately held agricultural land rather than as a part of the river. To substantiate this, the R-6 have placed on record Chakbandi Aakar Patrak 41 and 45. This is highly irregular and raises serious questions as to how **a central segment of the river, between Khasra Nos. 19 and 35, could be shown as privately held, thereby creating a discontinuous stretch of the river in Alipura**. This defies logic and natural topography, since **a river cannot simply vanish and reappear without geographic continuity. Such representation is riddled with contradictions and lacks any scientific or hydrological basis**.
7. It is further submitted that **no comprehensive village-wise or flow-wise map of the Khokhari River** through Shamli district has been provided which fails to highlight which stretches are under encroachment, particularly from permanent structures, and thereby deliberately obfuscates the continuity and integrity of the river's course. This selective disclosure appears designed to conceal instances where river land has been encroached upon or illegally allotted to private individuals in the midst of the riverbed.
8. It is also brought to the attention of this Hon'ble Tribunal that in the letter of the District Magistrate dated 27.03.2025, as well as at Pages 427 - 428 of the affidavit, **there is no mention whatsoever of the Khokhari River's presence in Alipura village**, despite the river historically flowing through it. This material omission from the record is deliberate and calculated to evade the Hon'ble Tribunal's scrutiny. Its existence in Alipura however

reappears in the revenue records annexed on Pages 465 - 466. It violates the spirit of transparency and accountability required of a statutory compliance report.

9. It is further submitted that **the width of the river, as recorded in the khasra-wise chart at Page Nos. 465 - 466, is unreasonably inconsistent and implausible**. For instance:

- In Khasra No. 19 (Alipura) - the width is recorded as merely **5 meters**,
- In Khasra No. 338 (Bhadi) - also **5 meters**,
- In Khasra No. 449क (Sakauti) - **6 meters**,
- The extreme is Khasra No. 445ख (Sakauti) - where the width is marked as only **3 meters**,
- In Khasra No. 252 (Kamalpur) - again **3 meters**,

while, in Khasra No. 315 (Sakauti), the width is recorded as **60 meters**. Such stark variations within short stretches of the same river are highly improbable and reflect either arbitrary measurements or deliberate under-reporting of river width in certain villages, presumably to facilitate or justify encroachments.

10. That, with respect to the permanent encroachments in the villages of Sakauti and Chausana, it is submitted that final orders have already been passed under Section 152 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, by the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Unn, District Shamli in the following cases: *Case No. 2701/2025, State vs. Rajesh & Ors. dated 27.06.2025. Case No. 2700/2025, State vs. Harendra & Ors. dated 27.06.2025*.

    In both matters, the Executive Engineer, Drainage Division, Shamli (Muzaffarnagar) was expressly directed to coordinate with the Tehsildar, Unn, and the Station House Officer, Police Station Jhinjhana, to ensure removal of encroachments from the river land. However, no execution of the orders has taken place till date, and the encroachments remain intact, reflecting a blatant failure in implementation. Copies of the orders issued by the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Unn, District Shamli in the following cases: Case No. 2701/2025, State vs. Rajesh & Ors. dated 27.06.2025. Case No. 2700/2025, State vs. Harendra & Ors. dated 27.06.2025 are annexed herewith as **Annexure A1 (Colly)**.

11. That, in the Irrigation Department's letter dated 22.05.2025 (Page 501), it is vaguely stated that time is required to receive DEM data from the Survey

of India and NIH Roorkee. However, **no concrete timeline or technical basis has been provided**. This response appears to be a delaying tactic, and stands in stark contrast to the situation in Saharanpur district, where such data has already been procured several months earlier. It is respectfully submitted that such delay reflects a lack of urgency and institutional will to proceed with the revival of the Khokhari River in Shamli.

12. In conclusion, it is most respectfully submitted that the directions of this Hon'ble Tribunal, particularly as issued vide order dated 10.05.2024, remain grossly uncomplied with. There is no concrete, time-bound, or technically sound restoration plan presented by the District Magistrate, Shamli, for the rejuvenation of the Khokhari River in Shamli district. The failure to undertake any effective action, despite specific judicial orders, renders the report of Respondent No. 6 deficient, misleading, and in contemptuous disregard of the Hon'ble Tribunal's mandate.

## ***Recommendations/Prayer***

13. In view of the above submissions, the Applicant most respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the District Magistrate, Shamli (Respondent No. 6) to :

1. Direct the District Magistrate, Shamli (Respondent No. 6) to immediately undertake correction of revenue records in all affected villages to accurately record the Khokhari River as "**Khokhari Nadi", and not as *Naala*.**
2. Direct the District Magistrate, Shamli (Respondent No. 6) to specifically correct the entry of Khasra No. 23मि in Village Alipura, which has been erroneously shown as agricultural land (*Kashtkar*), and restore it as part of the Khokhari River, to reflect continuous riverbed flow and eliminate the artificial break in records between Khasra Nos. 19 and 35.
3. Direct the District Magistrate, Shamli (Respondent No. 6) to ensure technical re-verification and floodplain mapping of the Khokhari River through use of GIS, satellite data, and DEM inputs already obtained by the Irrigation Department, to establish a scientifically accurate record of the river's course and boundaries.

4. Enforce the final eviction orders passed under Section 152 of the *Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, in respect of Sakauti and Chausana villages, and submit a detailed Action Taken Report before the Hon'ble Tribunal within a fixed timeline.
5. Direct Respondent No. 6 to submit a comprehensive, time-bound restoration plan for the rejuvenation of the Khokhari River in Shamli district, clearly indicating the steps, budgetary requirements, and timeline for execution.
6. Pass such other or further orders as this Hon'ble Tribunal may deem just, fit, and proper in the interest of environmental protection and river restoration.

It is, therefore, respectfully prayed that the submissions of the applicant be taken on record and appropriate directions be issued in the interest of justice.

FILED BY:

Amit Kumar
(Applicant)
**Place - New Delhi**
**Date - 31.07.2025**

**Annexure A-1(colly)**
**509**

**न्यायालय : - उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :सहारनपुर , जनपद :शामली , तहसील :ऊन**
**कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202509720702700**
**वाद संख्या:- 2700/2025**
**सरकार बनाम हरेन्द्र आदि**
**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 , अंतर्गत धारा:- 152**
**" अंतिम आदेश "**
**आदेश तिथि:- 27/06/2025**

निर्णय
प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पंाच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04-07-2024 को एवं दिनांक 10-07-2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के सरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चैसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलेदार, डेªनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या से सहमत होते हुए दिनांक 11-04-2025 को धारा 152(1)भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश जारी करते हुए प्रतिवादीगण को खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने अथवा कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रतिवादी लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह, रामकुमार पुत्र काला, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, मोहित कुमार पुत्र चन्द्रपाल, निर्मल पुत्र सीताराम, हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, विकास कुमार पुत्र हरी सिंह, रामशरण शर्मा पुत्र केसोराम, तेजपाल शर्मा पुत्र केसोराम शर्मा स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए, जिनमें से मोहित पुत्र चन्द्रपाल द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26-05-2025 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23-05-2025 को इस आशय का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी लाभ सिंह द्वारा अपना कब्जा हटा लिया गया है, जिसकी स्थलीय सत्यापन आख्या क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 18-06-2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसमें उक्त प्रतिवादी द्वारा अवैध कब्जा हटाया जाना नहीं पाया गया है। उक्त के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण उपस्थित न्यायालय नहीं आये तथा न ही किसी प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 28-05-2025 को सभी प्रतिवादीगण के कब्जे की स्थलीय जांच आख्या क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से भी प्राप्त की गयी।
मेरे द्वारा प्रतिवादी मोहित कुमार के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी मोहित कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, क्योंकि डेªनेज विभाग द्वारा मौके पर कोई पैमाईश नहीं की गयी और न ही कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया तथा न ही यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी उक्त का कितने भाग पर अतिक्रमण है तथा ग्राम सकौती में प्रतिवादी का एक मात्र मकान है, जो करीब 60 वर्ष पुराना है और वह मकान आबादी की भूमि पर बना है तथा उक्त मकान प्रतिवादी को विरासत द्वारा प्राप्त हुआ था तथा डेªनेज विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई लोक बाधा होने का कथन नहीं किया गया है। अन्त में उक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी मोहित कुमार के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/ साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रतिवादी मोहित कुमार एवं अन्य प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनका का कब्जा/अतिक्रमण खोखरी नदी की भूमि पर न होकर आबादी की भूमि पर है। ऐसी दशा में प्रतिवादी मोहित कुमार की आपत्ति को निरस्त किया जाना तथा डेªनेज विभाग एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्यानुसार खोखरी नदी की भूमि पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होने के कारण आदेश दिनांक 11-04-2025 को पुष्ट करते हुए पब्लिक न्यूसैंस हटवाया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।
आदेश
अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 152(1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारम्भिक आदेश दिनांक 11-04-2025

510

को पुष्ट किया जाता है तथा अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर) को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना से समन्वय स्थापित कर खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर प्रतिवादी-हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, मोहित पुत्र चन्द्रपाल सिंह, सचिन कुमार पुत्र शिवकुमार, रामकुमार पुत्र कालाराम, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, निर्मल पुत्र सीताराम, वेदपाल पुत्र सरजीत, तेजपाल व रामशरण पुत्रगण केशोराम, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, रामपाल पुत्र हरी सिंह, अमित पुत्र ईसम सिंह, लाभ सिंह पुत्र बलजीत, राजेन्द्र पुत्र पुन्ना सिंह, रामफल पुत्र धर्मवीर सिंह, मांगेराम पुत्र सुबा, रामशरण पुत्र सहेन्दर सिंह, भगवान सिंह पुत्र सहेन्दर सिंह, फूल कुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, शिवकुमार पुत्र सहेन्दर ंिसंह, रामकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, चन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह, रवि पुत्र राजपाल, नौशाद पुत्र बाबू, राजबीर पुत्र खिलारी, देशपाल पुत्र राजपाल, अरूण पुत्र पीतम सिंह, विकास पुत्र हरी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सकौती, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली द्वारा अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटवा दें। वाद उक्त में प्रस्तुत प्रतिवादी मोहित कुमार की आपत्ति दिनांक 26-05-2025 बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। तद्नुसार आदेश की प्रमाणितप्रति अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर), तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को अनुपालनार्थ भेजी जाये। अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर), तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना अपनी संयुक्त अनुपालन आख्या एक सप्ताह में न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दिनांक 27-06-2025
( संदीप कुमार त्रिपाठी )
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

**Disclaimer :**

**उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है। "**

511

**न्यायालय : - उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :सहारनपुर , जनपद :शामली , तहसील :ऊन**
**कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202509720702701**
**वाद संख्या:- 2701/2025**
**सरकार बनाम राजेश आदि**
**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 , अंतर्गत धारा:- 152**
**" अंतिम आदेश "**
**आदेश तिथि:- 27/06/2025**

निर्णय
प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पंाच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04-07-2024 को एवं दिनांक 10-07-2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के सरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चैसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलेदार, डेªनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या से सहमत होते हुए दिनांक 11-04-2025 को धारा 152(1)भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश जारी करते हुए प्रतिवादीगण को खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चैसाना पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने अथवा कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रतिवादी प्रमोद पुत्र बिन्दर व घसीटू, विनोद पुत्रगण बिशम्बर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु इनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा न ही अतिक्रमण हटाये जाने का साक्ष्य दाखिल किया गया। उक्त के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण उपस्थित न्यायालय नहीं आये तथा न ही किसी प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 28-05-2025 को सभी प्रतिवादीगण के कब्जे की स्थलीय जांच आख्या क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से भी प्राप्त की गयी।
प्रतिवादी पक्ष हाजिर न होने तथा आपत्ति/साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि डेªनेज विभाग एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्यानुसार खोखरी नदी की भूमि पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होने के कारण आदेश दिनांक 11-04-2025 को पुष्ट करते हुए पब्लिक न्यूसैंस हटवाया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।
आदेश
अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 152(1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारम्भिक आदेश दिनांक 11-04-2025 को पुष्ट किया जाता है तथा अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर) को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना से समन्वय स्थापित कर खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चैसाना पर प्रतिवादी-राजेश पुत्र टनक, संजीव पुत्र महीपाल, प्रमोद पुत्र बिन्दर, घसीटू पुत्र विशम्बर, विनोद पुत्र विशम्बर, अतरा पुत्र सोहनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चैसाना, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली द्वारा अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटवा दें। तद्नुसार आदेश की प्रमाणितप्रति अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर), तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को अनुपालनार्थ भेजी जाये। अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली(मु0नगर), तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना अपनी संयुक्त अनुपालन आख्या एक सप्ताह में न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दिनांक 27-06-2025
( संदीप कुमार त्रिपाठी )
उप जिला मजिस्टेªट,
ऊन, जनपद शामली

s

**Disclaimer :**

**उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है। "**